बिहार विधान-सभा-वादवृत्त

बृहस्पतिवार, तिथि ८ फरवरी, १९५१।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा सदन में बृहस्पतिवार, तिथि ८ फरवरी, १९५१ को पूर्वाह्न ११ बजे माननीय अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्मा के सभापतित्व में हुआ।

अल्प सूचना प्रश्नोत्तर।

SHORT NOTICE QUESTIONS AND ANSWERS.

BHAGWANPUR CO-OPERATIVE SOCIETY.

5. **Shri DIP NARAYAN SINHA:** Will Hon'ble the Minister in charge of the Development Department be pleased to state—

(*a*) whether it is a fact that the Bhagwanpur Co-operative Development and Cane Marketing Union in the district of Muzaffarpur was dealing in sugar and it had to stop its sugar business under the orders of the District Magistrate of Muzaffarpur;

(*b*) whether it is a fact that the sugar business done by the Bhagwanpur Co-operative Development and Cane Marketing Union has been entrusted to an individual;

(*c*) whether it is a fact that in reply to a question put to Government they gave assurance that sugar business will be given to Co-operative Societies if they so desire;

(*d*) whether it is a fact that the Bhagwanpur Co-operative Development and Cane Marketing Union has not got back its sugar business though correspondence for the same has been going on for the last many months?

Shri BIRCHAND PATEL: (*a*) The answer is in the affirmative.

(*b*) There are at present two wholesalers in Hajipur Subdivision one of which is a Co-operative organisation and the other is an individual business man.

(*c*) No question seems to have been asked recently in the Assembly regarding the sugar business of Co-operative Associations in the business of controlled commodities.

(*d*) Government orders have already been passed within the last week re-appointing the Bhagwanpur Canegrowers' Union as the sugar wholesaler in the Hajipur Subdivision.

माननीय अध्यक्ष—शांति-शांति ?

श्री सैयद अमीन अहमद—खैर यह बिल पास होवे, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि जनाब एडुकेशन मिनिस्टर साहब कुछ जवाब देंगे ।

श्री मुहम्मद अब्दुल गनी—मुझे इतना ही कहना है कि जिस डिपार्टमेंट के लिए ऐप्रोप्रियशन बिल पास किया जा रहा है वह जरा सोया हुआ है । मिसाल के तौर पर एडुकेशन डिपार्टमेंट है । एडुकेशन डिपार्टमेंट के जो चार्ज में है वह मिनिस्टर साहब हमलोगों की खुशनसीबी है कि बैठे हुए हैं । उनकी यह बड़ी मिहरबानी हो चुकी है कि उन्होंने यह वादा किया है कि उर्दू की प्राइमरी टीचिंग जारी रहेगी इस सूबे में, मगर इसके लिए ट्रेन्ड टीजर्स सिवान एलीमेन्ट्री स्कूल से तैयार किए जाते थे । आज वह कनवर्ट किया जा रहा है हिन्दी ट्रेनिंग स्कूल में । वह बतलावें उनको इल्म है या नहीं कि एक ही फैक्टरी जो सारे सूबे के लिए उर्दू एलीमेंटरी गुरु ट्रेनिंग के नाम से थी सीवान में वह भी छीनी जा रही है या नहीं । अगर ऐडमीशन हो गया है हिन्दी टीचर्स का उस स्कूल में तो एक भी ट्रेन्ड उर्दू टीचर अब नहीं तैयार होगा ।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

बिहार एप्रोप्रियेशन बिल, १९५१ , स्वीकृत हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार टाउन इम्प्रवमेंट ट्रस्ट बिल, १९४८ (१९४८ की वि० स० ३७)—क्रमशः

THE BIHAR TOWN IMPROVEMENT TRUST BILL, 1948.

[BILL NO 37 OF 1948]—*contd.*

Shri SAIYID AMIN AHMAD : Sir, for my previous amendment I beg to substitute the following :—

That in sub-clause (1) of clause 78 the words "either in lump sum or in monthly instalments in such number not exceeding six as may be proved by the Trust" be deleted and the words "in 10 annual instalments" be substituted.

माननीय अध्यक्ष—आप इस विषय पर बोल चुके हैं ।

श्री सैयद अमीन अहमद—कुछ और कहना बाकी रह गया है । हमारे दोस्त की क्या नीयत है यह इस खंड में जाहिर हो गयी है । कभी-कभी इन्सान के न चाहने पर भी हकीकत का पता चल जाता है । आप बेटरमेंट फी की शक्ल में लैंड अक्विजीशन कर लेना चाहते हैं । अगर एक सड़क आपने सिर्फ बना दी तो आप कहेंगे कि सड़क के खुलने की वजह से तुम्हारी जमीन की कीमत १,००० से १०,००० हो गयी है इसलिए ९,००० पया बेटरमेंट फी की शक्ल में तुम हमें एक किस्त में या ६ महीने के अन्दर दे दो । मैं यह नहीं कहता कि आप बेटरमेंट फी नहीं लें । मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि यह फी इतनी कड़ी न हो जाय कि कोई दे न सके और उसकी जमीन

इन डीफौल्ट अक्वायर हो जाय। आप उस बेटरमेंट फी को दस वर्ष के अन्दर वाइ इजी इन्सटालमेंट स ले लें जिसमें लोगों को देने में सहूलियत हो।

श्री सैयद मजहर इमाम —मैं पूरे क्लौज को और इस अमेंडमेंट को अपोज करता हूं।

माननीय अध्यक्ष —आप पूरे खंड पर अभी बहस नहीं कर सकते। इस संशोधन पर सरकार का जवाब हो जायगा तब आप पूरे खंड पर बहस कर सकते हैं।

माननीय पंडित विनोदानन्द झा —बेटरमेंट फी के सम्बन्ध में मैं नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट एन्कवायरी रिपोर्ट से एक पोर्शन आपके सामने रखना चाहता हूं। यह कोई नई या भयानक चीज नहीं है जो इस बिल में रखी गयी है :—

"In Palgrave's Dictionary of Political Economy (Vol. I, page 136) the term "Betterment" is defined as being that "persons benefited by public expenditure should contribute to such expenditure to the extent of the increased value of their property, and this not only if the improvement effected by the public authority was carried out for the purpose of conferring a benefit on such property but also if the resulting benefit was purely accidental, the expenditure having been undertaken for a totally different purpose".

अगर किसी दूसरे एकोनोमिक फैक्टर की वजह से या ऐक्सिडेन्टली उस प्रोपर्टी का दाम बढ़ जाय तो बेटरमेंट फी देनी पड़ेगी। आप जानते हैं कि श्री बृजकिशोर झा का इसके मुतल्लिक एक अमेंडमेंट था जिसको हमने नहीं कबूल किया है। और भी बहुत से ऐक्ट्स हैं—जैसे Light Railways Act, 1896; Development and Road Improvement Fund Act, 1909, Housing Act, 1925, Town Building Act, 1925 वगैरह जहां इस प्रिंसिपल को रखा गया है कि सिर्फ स्कीम की वजह से नहीं, बल्कि ऐक्सिडेन्टली भी यदि किसी प्रोपर्टी का दाम बढ़ गया हो तो बेटरमेन्ट फी देनी पड़ेगी।

सीलोन ऐक्ट के सेक्शन १७ को आप देखें —

"Where the value of any property is increased by the coming into operation of any provision....."

यहां सिर्फ "लैंड" नहीं कहता है; बल्कि "प्रोपर्टी" कहता है, मकान भी इसमें आ जाता है

"... in a Planning Scheme or by the execution of any work under any such provision, the authority responsible for the execution of that provision, may subject to the restrictions imposed by sub-section (3)...."

सेक्शन २ में लिखा हुआ है—

"A betterment contribution may be recovered from the owner of any property notwithstanding that the scheme under which the contribution is recovered does not apply to that property".

स्कीम नहीं अप्लाई करने से भी यदि प्रोपर्टी का वैलुएशन बढ़ जाय तो बेटरमेंट फी ली जा सकती है। यह तो मौजूदा असूल है। एक्सपर्ट का ओपिनियन है कि ट्रस्ट को फाइनेन्स करने के लिए इन्डूसमेंट की जरूरत है।

हमने मद्रास लाइन पर यह प्रोविजन रखा है और ६ इन्सटौलमेंट रखा है। अमीन साहब का कहना है कि १० इन्सटौलमेंट रखना चाहिये। मेरे ख्याल में ६ और १० के बीच रखना चाहिए। असल में कोई फर्क नहीं है। मगर जिसको कम पैसा देना है

और जिसको ज्यादा रुपया देना है, दोनों के साथ यदि एक कार्रवाई की जाय तो मेरे ख्याल में काम आगे नहीं बढ़ेगा। जिसको सिर्फ १०० पया देना है वह भी कह सकता है कि १० वर्ष के बाद हमें रुपया देंगे। इसीलिये यह सब चीजों में यूनिफार्मिटी का कोशिश नहीं करनी चाहिये। यदि आप चाहें तो हम इसमें "will be payable in any manner to be prescribed by the State Government" जोड़ देंगे और रूल बनाने के वक्त इसका ख्याल जरूर रखेंगे कि एमाउन्ट के मुताबिक इन्सटौलमेंट फिक्स हो जिससे किसी को तकलीफ न हो। हम जरूर देखेंगे छोटी रकम एक-दो साल के अन्दर वसूल हो जाय और बड़ी रकम के लिये ज्यादा समय मिले।

श्री सैयद अमीन अहमद :—मिनिस्टर साहब का अश्योरेन्स है कि छोटी रकम के लिये कम टाइम और बड़ी रकम के लिए १० वर्ष का टाइम दिया जायगा। इसके बाद में इस क्लॉज पर जो अमेंडमेंट है उसको विथड्रा कर लेना चाहता हूं और दूसरा अमेंडमेंट उसकी जगह पर रख देना चाहता हूं, जैसा कि मिनिस्टर साहब ने कहा है।

सभा की अनुमति से प्रस्ताव वापस हुआ।

श्री सैयद अमीन अहमद —Sir, now I beg to move:

That in sub-clause (1) of clause 78 of the Bill for the words "either in lump or in monthly instalments in such number not exceeding six as may be approved by the Trust", the words "in such number and in such manner as may be prescribed by the State Government" be substituted.

माननीय अध्यक्ष —प्रश्न यह है कि:

That in sub-clause (1) of clause 78 of the Bill for the words "either in lump sum or in monthly instalments in such number not exceeding six as may be approved by the Trust", the words "in such number and in such manner as may be prescribed by the State Government" be substituted.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभा शुक्रवार तिथि ९ फरवरी १९५१, ११ बजे दिन तक स्थगित हुई।

बि० स० मु० (एज० ए०) ४१ ३—५००—१२-१२-१९५१—घ०ना०माथुर